न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 26/अपील/2023 (GCMS No. 2023/89)	09.01.2024	13.05.2025

पृथ्वीराज आ. भंवरलाल जाति माली,
निवासी ग्राम ख्यावदा, तहसील एवं जिला बून्दी

– अपीलान्ट

बनाम

1. गणेशी बेवा भंवरलाल उर्फ भंवरया जाति माली नि.ख्यावदा
2. कान्ति पुत्री भंवरलाल उर्फ भंवरया जाति माली नि.ख्यावदा
3. तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री लोकेन्द्र कुमार डोई, श्री कमलेश शर्मा एड.
रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 की ओर से श्री महेन्द्र गुर्जर, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 28.06.2000 ग्राम ख्यावदा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार भंवरया एवं कान्हा के फोत हो जाने पर उनके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 26/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/89 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट स्वर्गीय भंवरलाल का पुत्र है तथा रेस्पो.सं. 1 स्वर्गीय भंवरलाल की बेवा है एवं रेस्पो.सं. 2 पुत्री है। बवक्त नामान्तकरण, नामान्तकरण पंजिका में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं कर रेस्पो. सं.1, 2 का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि उनके साथ ही अपीलांट का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बवक्त स्वीकृत नामान्तकरण आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई का कोई अवसर दिये स्वीकृत किया गया है, इसलिए भी नामान्तकरण आदेश निरस्त होने योग्य है। पक्षकारान अशिक्षित व्यक्ति है, अपीलांट ही उक्त भूमि को नियमित रूप से काश्त करता चला आ रहा था। अपीलांट को ऋण की आवश्यकता होने के कारण अपीलांट ने पटवारी हल्का से कृषि भूमि की नकल प्राप्त करने पर तथा अपीलांट का नाम खाते में दर्ज नहीं पाये जाने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 10.02.2023 को नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी नकल प्राप्त होते ही अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं अपीलांट एवं रेस्पो.सं.1, 2 के पक्ष में नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश प्रदा करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलांट ने स्वयं को खातेदार भंवरलाल का पुत्र बताया है एवं अपील विषयक भूमि पर अपीलांट का कब्जा होना बताया है, तो ऐसे में अपीलांट को खातेदार भंवरलाल के देहान्त के बाद उनके खाते की भूमि पर फोती नामान्तरकरण खोले जाने की जानकारी शुरू से रही है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 28.06.2000 को खुले हुये लगभग 23 वर्ष गुजर जाने के बाद यह अपील पेश की है, जो मियाद बाहर है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में मियाद को क्षमा करने हेतु कोई वाजिब कारण अंकित नहीं किया है, इस कारण 23 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई यह अपील अवधि बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। ऐसे में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2 ने आगे गुणावगुण पर तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलांट द्वारा अपील में अपील विषयक आराजी के खसरा नम्बरान का उल्लेख नहीं किया है और न ही अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित सभी सहखातेदारान को अपील में पक्षकार बनाया है। अपील के संलग्न नवीन जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार खाता सं. नया 18 व पुराना 16 में पृथ्वीराज पुत्र नन्दा अंकित है। अपीलांट पृथ्वीराज के आधारकार्ड में पिता का नाम नन्दा अंकित है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावें।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ है कि अपीलांट द्वारा ग्राम ख्यावदा में विस्थित आराजी किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा के सहखातेदार भंवरया और कान्हा के फोत हो जाने पर उनके वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 28.06.2000 तस्दीक किया गया, जिसके असप्रन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जाकर उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने एवं अपीलांट भंवरलाल का पुत्र होने से उसका नाम वारिस के रूप में खाते में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किये जाने पर प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 28.06.2000 को तस्दीक किया गया है, जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 22.03.2023 को 22 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने के बाद इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 10.02.2023 को होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। दिनांक 10.02.23 को जानकारी हो जाने के बाद भी नियमों में नियत 30 दिवस की समयसीमा में अपील पेश की नहीं जाकर दिनांक 22.03.23 को अपील पेश किया जाना प्रकटतया ही अवधि बाधित है।

यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण अपने पिता के फोत हो जाने पर वारिसान के नाम दर्ज किया जाना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पिता की मृत्यु के उपरान्त उसके कब्जे काश्त की भूमि के राजस्व रेकार्ड की 22 साल तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह विश्वसनीय नहीं है। जबकि किसानों को लगान अदायगी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि खातेदारी रिकार्ड के अनुसार ही प्राप्त होता है। अपीलांट को दिनांक 10.02.2023 से पूर्व नामान्तरण की जानकारी नहीं रहने का कोई कारण नहीं बताया। इसलिए अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है।

यहां उल्लेखनीय है कि अपील पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2076 में सहखातेदार पृथ्वीराज पुत्र नन्दा अंकित है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्वयं का आधार कार्ड सं. 801979781585 में पृथ्वीराज के पिता का नाम नन्दा अंकित है, जबकि अपील पृथ्वीराज पुत्र भंवरलाल अंकित किया जाकर भंवरलाल के पुत्र की हैसियत से पेश की गई है, किन्तु अपीलांट की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज अपील में पेश नहीं किया गया, जिसमें अपीलांट पृथ्वीराज के पिता का नाम भंवरया अंकित हो। इससे प्रकट है कि अपीलांट द्वारा यह अपील स्वच्छ हाथों से पेश नहीं की गई है। ऐसे में अपील में प्रथमदृष्ट्या सारवान तथ्य प्रकट नहीं होने से गंभीर मियाद को कन्डोन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

जिला कलक्टर, बून्दी

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के बाद भी निर्धारित समयसीमा में अपील पेश नहीं करने कोई संतोषजनक एवं स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है, जिससे हस्तगत अपील में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 13.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर-बून्दी